तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 19/2026 रे0फो0 **राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत** **1**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

दिनांक : 18.02.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त उदयलाल की मृत्यु होने से दिनांक 23.04.2015 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।

अभियुक्त नारायणलाल की मृत्यु होने से दिनांक 13.03.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की गई।

अभियुक्त नाथूलाल को दिनांक 13.11.2024 को आरोपित अपराध से उन्मोचित किया गया।

अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 08.10.2024 को मफरूर किया गया।

अभियुक्त चन्द्रकांत मय **अधिवक्ता श्री अतुल पालीवाल उपस्थित।**

अभियुक्त **कल्याणसिंह** मय अधिवक्ता **श्री शंकरसिंह सिसोदिया** उपस्थित।

अभियुक्त **शंभूसिंह** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री अतुल पालीवाल** उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया।

अभियुक्त **गिरिराज गुर्जर** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री भरत गुर्जर** उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए पेश किया गया।

पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन में कोई गवाह उपस्थित नहीं।

गवाह उम्मेदीलाल को जारी जमानती वारंट ईमेल से सूचना के पृष्ठांकन के साथ प्राप्त हुआ। गवाह को प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ।

<u>न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा</u>

प्रकरण संख्या 19/2026 रे0फो0

राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रकांत

प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर टारगेट प्रकरण होकर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह उम्मेदीलाल पीडब्ल्यू 18 की जिरह रिजर्व है।

साक्ष्य अभियोजन में गवाह उम्मेदीलाल पीडब्ल्यू 18 को जरिये गिरफतारी वारंट से तलब किया जावें।

गवाह को जारी तामील पर प्रकरण पुराना होने व टारगेट केस होने से आवश्यक रूप से तामील करवाए जाने का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें।

गवाह की उपस्थिति के संबंध में एपीओ को नोटेड करवाया जावें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 25.02.2026 को पेश हो।